II

Ceiling

देश की स्वतन्त्रता के बाद भूमि-सुधार के लिये सम्बन्धित जितने भी कार्यक्रम लागू किए गए हैं, उनमें जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का निम्नांकित उद्देश्य है:-

(i) कृषि हेतु उपयोग में लाए जा रहे विशाल आकार के खेतों को इतने छोटे आकार में बदल देना ताकि उनकी देखभाल सही ढंग से की जा सके और उत्पादन बढ़ाकर लाभ प्राप्त किया जा सके।

(ii) बड़े भू-खण्डों को निश्चित आकार में बदलने से जो अतिरिक्त भूमि प्राप्त हो उसे भूमिहीनों में बाँट दिया जाए, ताकि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(iii) ग्रामीण जनता को अधिक से अधिक रोजगार सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें, एवं

(iv) गाँव में जो बंजर और बेकार भूमि उपलब्ध है, उसका आवण्टन मकान आदि बनाने के लिए ग्रामीण कृषकों, कारीगरों आदि को कर दिया जाए।

भूमि सुधार समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में जोतों की उ: अधिकतम

Page No.:
Date: / /

सीमा निर्धारण के प्रश्न पर लिखा था कि "सामी संसाधनों में भूमि की पूर्ति बहुत अधिक सीमित है, जबकि इसे प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। अतः कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर यह अन्यायपूर्ण होगा कि कोई एक व्यक्ति भूमि के एक बड़े भूखण्ड का उपयोग करता रहे और एक बहुत बड़ा काश्तकारों का वर्ग भूमि के एक छोटे से टुकड़े के लिए तरसता रहे। भारत के वर्तमान सामाजिक और राजनैतिक वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए भी भूमि का समान वितरण आवश्यक है।"

देश के विभिन्न राज्यों में जोतों की सीमा का निर्धारण निम्नानुसार है। — उत्तर प्रदेश 7.3 से 18.3 हेक्टेयर, बिहार 6.1 से 18.2 हेक्टेयर, मध्यप्रदेश 4.05 से 21.9 हेक्टेयर, राजस्थान 7.3 से 21.85 हेक्टेयर, हरियाणा 7.3 से 21.8 हेक्टेयर, गुजरात 4.1 से 21.9 हेक्टेयर, आन्ध्र प्रदेश 4.1 से 21.9 हेक्टेयर, असोम 6.7 हेक्टेयर, हिमाचल प्रदेश 4.1 से 12.4 हेक्टेयर, जम्मू व कश्मीर 3.6 से 7.77 हेक्टेयर, कर्नाटक 4.1 से 21.9 हेक्टेयर, केरल 4.9 से 6.1 हेक्टेयर, उड़ीसा 4.5 से 18.2 हेक्टेयर, पंजाब 7. से 20.5 हेक्टेयर, तमिलनाडु 4.9 से 24.3 हेक्टेयर,

Scanned with CamScanner

पश्चिमी बंगाल 5 से 7 हेक्टेयर और त्रिपुरा 2.00 से 7.20 हेक्टेयर।

उपर्युक्त अनुसार जोतों की सीमा निर्धारण के प्रति केंद्र सरकार ने अपनी अनुमति व्यक्त करते हुए राज्य सरकारों को यह नया सुझाव दिया है कि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण कार्य पुनः किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझाव में यह कहा गया है कि दो फसलें देने वाली सिंचित भूमि 7.5 हेक्टेयर व असिंचित भूमि 12 हेक्टेयर को मान को दृष्टिगत रखते हुए जोत के अधिक सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए।

Merits of Land Ceiling

अधिकतम जोत सीमा निर्धारण के फलस्वरूप निम्नांकित लाभ प्राप्त होते हैं:→

(i) भूमि के असमान वितरण की समाप्ति:→ भूमि सुधार के इस कार्यक्रम से देश भर में व्याप्त भूमि के असमान वितरण को कम करने में सहायता प्राप्त हुई है।

(ii) रोजगार में वृद्धि:→ भूमि सीमा का नियमन हो जाने के परिणामस्वरूप गाँव में श्रम-प्रधान तकनीकों

Page No.:
Date: / /

का प्रयोग अधिक बढ़ गया है अतः ग्रामीण लोगों को रोजगार जुटाने की सम्भावनाओं में वृद्धि हुई है।

(iii) अधिक उत्पादन :→ अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से गहन कृषि के प्रति कृषकों की रुचि में वृद्धि हुई जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा है।

(iv) आय में समानता :→ जोतों के सीमा निर्धारण से लगभग सभी कृषकों के आय में समानता लायी जा सकी है। एक समान जोत के स्वामी कृषकों की आय लगभग एक समान है।

(v) भूमिहीन कृषकों को लाभ :→ जोतों की सीमा का निर्धारण हो जाने के बाद देश के लाखों भूमिहीन श्रमिक आज भूमि के स्वामी बन गए हैं; फलस्वरूप उनमें एक आत्मविश्वास जागा है और वे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय सहयोग देने लगे हैं।

(vi) भूमि की सुरक्षा :→ कृषि योग्य भूमि की पूर्ति बेलोच है जबकि इसके दावेदारों की संख्या बहुत अधिक

Scanned with CamScanner

है। भूमि की माँग और पूर्ति में संतुलन बनाये रखने के लिए जोतों के उच्चतम सीमा का निर्धारण आवश्यक है।

Demerits of Land ceiling।

जोतों की सीमाबन्दी को प्रत्येक परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके विरोध में निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं :→

(i) विशाल पैमाने के कृषि के लाभ नहीं मिल पाते :

अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से सबसे पहली हानि यह है कि कृषि योग्य विशाल भूखण्डों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। ऐसा होने से विशाल पैमाने की कृषि से मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं हो पाते।

(ii) भूमि की समान सीमा-निर्धारण सम्भव नहीं :→ देश में सभी प्रकार के साधनों से उपलब्ध कुल अतिरिक्त भूमि इतनी अधिक नहीं है कि देश के समस्त भूमिहीनों को भूमि का स्वामी बनाना सम्भव हो सके। अतः भूमिहीन कृषकों का एक बड़ा वर्ग भूमि प्राप्त करने से वंचित रह जाएगा।

Scanned with CamScanner

(iii) शक्तता एवं वैमनस्य में वृद्धि :→ विशाल भू-खण्ड रखने वाले जिन बड़े कृषकों की भूमि के सीमा निर्धारण में अतिरिक्त भूमि प्राप्त कर जिस भूमिहीन कृषक को उपलब्ध कराई जाएगी, वह छोटा कृषक सदैव के लिए बड़े कृषकों के कोप का शिकार बना रहेगा। परिणामस्वरूप वह अपनी कृषि भूमि पर सफलतापूर्वक कृषि कार्य नहीं कर सकेगा। यदि सरकार द्वारा उससे जबर्दस्ती भूमि का अधिग्रहण कर दूसरों को भूमि उपलब्ध कराई जाती है, तो उससे शत्रुता, वैमनस्य और असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक है।

निष्कर्ष :→

जोतों की सीमा निर्धारण सम्बन्धी उपर्युक्त सभी के सम्बन्ध में दिए गए तर्क बहुत अधिक युक्तिसंगत है, किन्तु फिर भी इन तर्कों को इसलिए उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जिस वस्तु की न्यूनता है, उसका समान वितरण किया जाना प्रत्येक स्थिति में अति आवश्यक है।

Scanned with CamScanner